INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RAS

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

मुख्य परीक्षा हेतु

भाग – 4

समाजशास्त्र + प्रबंधन + लेखांकन एवं अंकेक्षण

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स **"RAS (Rajasthan Administrative Service) (मुख्य परीक्षा हेतु)"** *को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को* **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** *द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा* **"Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Exams" मुख्य** *भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें/*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

Whatsapp करें - https://wa.link/9qwi7z

Online order करें - https://bit.ly/41wfqPD

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	समाज शास्त्र	
1.	**भारत में समाज शास्त्र का विकास** • भारतीय समाज में : जाति और वर्ग प्रकृति, उद्भव, प्रकार्य, चुनौतियाँ • समाज की विशेषताएँ • वर्ग • वर्गों का उदय / उत्पति	1
2.	**समकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति में परिवर्तन** • धर्म निपेक्षीकरण • धर्मनिरपेक्षता के समक्ष समकालीन चुनौतियाँ • धार्मिक बहुलवाद • शहरीकरण • आधुनिकीकरण • वैश्वीकरण	10
3.	**भारतीय सामाजिक व्यवस्था से सम्बंधित अवधारणाएँ** • कर्म का सिद्धांत • कर्म का सिद्धांत और पुरुषार्थ • धर्म • पुरुषार्थ • आश्रम व्यवस्था	31
4.	**भारतीय समाज में परिवार और विवाह** • परिवार • विवाह	45
5.	**वृद्धजनों तथा दिव्यांगजनों से सम्बंधित मुद्दे** • वृद्धजनों से सम्बंधित मुद्दे • दिव्यांगजनों से सम्बंधित मुद्दे • अन्य प्रमुख योजनाएं	52
6.	**भारतीय समाज पर साइबर अपराध और सोशल मीडिया का प्रभाव** • कानूनी ढांचे और संस्थागत तंत्र	57
7.	**भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियाँ एवं मुद्दे** • दहेज • मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव	60

	• *भ्रष्टाचार* • *समाजशास्त्रीय एवं प्रशासनिक संदर्भ* • *गरीबी (निर्धनता)* • *वेश्यावृत्ति* • *बेरोजगारी* • *नशाखोरी*	
8.	***भारतीय समाज में कमजोर वर्गों से सम्बंधित समस्याएँ***	**76**
	प्रबंधन	
1.	***प्रबंधन*** • *प्रबंधकीय अवधारणा* • *प्रबंधकीय स्तर एवं कौशल* • *प्रबंध के कार्य* • *प्रमुख प्रबंधीय तकनीकें*	**81**
2.	***संगठनात्मक व्यवहार*** • *संगठनात्मक व्यवहार (OB) का अर्थ* • *व्यष्टि स्तर* • *समूह स्तर* • *सिद्धांत की मूल अवधारणाएँ*	**88**
3.	***विपणन प्रबंध*** • *विपणन प्रबंध की प्रमुख अवधारणाएँ*	**97**
4.	***मानव संसाधन प्रबंध*** • *संकल्पना एवं क्षेत्र* • *मानव संसाधन नियोजन* • *प्रशिक्षण*	**101**
5.	***रणनीति प्रबंधन*** • *रणनीति निरूपण* • *रणनीति नियंत्रण एवं मूल्यांकन*	**106**
	लेखांकन एवं अंकेक्षण	
1.	***लेखांकन*** • *मान्य लेखांकन सिद्धांत (GAAP)* • *लागत*	**110**
2.	***लेखांकन मानक*** • *लेखांकन की अवधारणा*	**114**

	• लेखांकन के उद्देश्य • पुस्तपालन • खाता-बही • आर्थिक चिट्ठा	
3.	**कम्पनी के वित्तीय विवरण** • वित्तीय विवरण • वित्त के स्त्रोत • विश्लेषण	**133**
4.	**कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली (CAS)** • लेखांकन के सॉफ्टवेयर पैकेज • कंप्यूटरीकृत बनाम मानवीय लेखांकन	**146**
5.	**वस्तु एवं सेवा कर का आधारभूत ज्ञान** • परिचय • GST • दोहरा मॉडल	**148**
6.	**अंकेक्षण** • अंकेक्षण का अर्थ • अंकेक्षण का विकास • भारत में अंकेक्षण • अंकेक्षण की परिभाषाएं • अंकेक्षण के उद्देश्य	**151**

समाजशास्त्र

अध्याय – I

भारत में समाज शास्त्र का विकास

- प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट काम्टे ने वर्ष 1838-39 में समाजशास्त्र शब्द गढ़ा। इन्हें समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। समाज शास्त्र लैटिन भाषा के socius मा societies तथा ग्रीक भाषा के logus से मिलकर बना है Societies का अर्थ समाज, साथी या सहयोगी होता है तथा logus का अर्थ अध्ययन या विज्ञान है, अर्थात् समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है या समाज का अध्ययन ही समाजशास्त्र है।
- समाज सामाजिक संबंधों की एक दुनिया है जो मानव अंतर -क्रियाओं एवं पारस्परिक संबंधों से जुड़ा है। एक अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र पश्चिमी बौद्धिक प्रवचन का एक उत्पाद है।
- **मैक्स वेबर के अनुसार** – "समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है जिससे उसकी प्रक्रिया व प्रभावों की बुद्धिसंगत व्याख्या की जा सके।
- **गिंसबर्ग के अनुसार-** "समाजशास्त्र मानवीय अंत क्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन है।
- शुरुआत में यह मानव विज्ञान से जुड़ा हुआ था। हालांकि, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान की वृद्धि तीन चरणों के माध्यम से पारित की गई।
- **प्रथम चरण** – 1773-1900 : वर्ष 1900 से पहले, समाजशास्त्र में भारतीय समाज और संस्कृति को समझने के लिए ब्रिटिश प्रशासकों के लिए उपकरण के रूप में पहचान बनाई।
- 1784 में, विलियम जोन्स ने भारत में प्रकृति और मनुष्य का अध्ययन करने के लिए बंगाल में 'द एशियाटिक सोसाइटी 'की स्थापना की ।
- **दूसरा चरण** – 1901-1950 : 20 वीं शताब्दी के शुरुआत में, पेशेवर समाजशास्त्री, जैसे हर्बर्ट रिस्ले (जनजाति / जाति), ब्राउन (अंडमान द्वीप समूह) ने भारत में जनजाति के घातक पहलुओं पर काम करना शुरू कर दिया।
- बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ विश्वविद्यालयों में अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र ने बीएन सील, जीएस घूर्ये, बीके सरकार, सधाकमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी और के.पी. चट्टोपाध्याय के योगदान के कारण उपस्थिति बनाई। हालांकि, उनके बौद्धिक हितों, डाटा संग्रह के तरीके और भारतीय सामाजिक प्रणाली एवं सामाजिक संस्थानों की उनकी व्याख्याओं को औपनिवेशिक काल में विद्वान प्रशासकों द्वारा उत्पादित नृवंशविज्ञान कार्यों से दृढ़ता प्रभावित किया गया था
- **तीसरा चरण** : (1950 आज तक) या आजादी के बाद समाजशास्त्र का विकास भारतीय विद्वानों द्वारा
- समाजशास्त्र के विस्तार या विकास का चरण 1952 से शुरू हुआ, इसके कई कारक उसके विकास के खाते में है स्वतंत्र भारत के नीति-निर्माताओं ने आर्थिक पुनर्वनन और सामाजिक विकास के उद्देश्यों का पीछा किया क्या उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सामाजिक विज्ञान की भूमिका को पहचाना ।
- उन्होंने समाजशास्त्र की नई क्रियाओं को सामाजिक इंजीनियरिंग और सामाजिक नीति विज्ञान के रूप में बांटा।

❖ **परंपरा एवं परिवर्तन पर डी.पी. मुखर्जी के विचार :**

- परंपरा : डी.पी मुखर्जी का यह मानना था कि भारत की सामाजिक व्यवस्था ही उसका परिणात्मक एवं विशिष्ट लक्षण है और इसलिए यह आवश्यक है कि सामाजिक परंपराओं का अध्ययन हो, अर्थात् दूसरे शब्दों में भारत में सामाजिकता का बाहुल्य है, इसके अलावा और सबकुछ बहुत कम है। मुखर्जी का अध्ययन केवल भूतकाल तक ही सीमित नहीं, बल्कि परिवर्तन की संवेदनशीलता से भी जुड़ा था।
- अतः परंपरा एक जीवंत परंपरा थी जिसने अपने-आपको भूतकाल से जोड़ने के साथ ही साथ वर्तमान के अनुरूप भी ढाला था और इस प्रकार समय के साथ अपने-आपको विकसित कर रही थी।
- इनका मानना था कि समाजशास्त्रियों को भाषा एवं संस्कृति की पहचान हो, न केवल संस्कृत अरबी, एवं फारसी भाषाओं की। इसके अलावा स्थानीय बोलियों की भी जानकारी हो।
- इन्होंने तर्क दिया कि भारतीय संस्कृति व्यक्तिवादी नहीं है, अतः भारतीय सामाजिक व्यवस्था की दिशा मुख्यतः समूह, जाति एवं संप्रदाय के क्रियाकलापों द्वारा निर्धारित होती है।
- परंपरा शब्द का मूल अर्थ संचारित। प्रेषित करना है। अतः परंपरा को मजबूत जड़े भूतकाल में होती हैं और उन्हें कहानियों, किस्सों एवं मिथकों द्वारा कहकर तथा सुनकर जीवित रखा जाता है। डी.पी मुखर्जी मानते हैं कि भारतीय संदर्भ में वर्ग संघर्ष जातीय परंपराओं से प्रभावित होता है और उसे अपने में समाहित करता है।
- परिवर्तन : इनका मानना था कि भारतीय परंपरा में परिवर्तन के तीन सिद्धांतों को मान्यता दी गई- श्रुति, स्मृति तथा अनुभव। इन सभी में अंतिम अनुभव तथा व्यक्तिगत अनुभव क्रांतिकारी सिद्धांत है इसका आशय है कि भारतीय समाज में परिवर्तन का सर्वप्रथम सिद्धांत सामान्यीकृत अनुभव अथवा समूहों का सामूहिक अनुभव था।
- डी.पी. मुखर्जी के अनुसार, भारतीय संदर्भ में बुद्धि-विचार के परिवर्तन के लिये प्रभावशाली शक्ति नही है, बल्कि अनुभव और प्रेम परिवर्तन के उत्कृष्ट कारक हैं। संघर्ष तथा विद्रोह सामूहिक अनुभवों के आधार यह कार्य करते हैं।
- परंपरा का लचीलापन इसका ध्यान रखता है कि संघर्ष का दबाव परंपराओं को बिना तोड़े उनमें परिवर्तन लाए।

❖ **राज्य पर ए. आर. देसाई के विचार :-**

- आधुनिक पूँजीवाद राज्य एक महत्वपूर्ण विषय था, जिसमें देसाई की रुचि थी 'द मिथ ऑफ द 'वेलफेयर स्टेट' नामक

निबंध में देसाई ने विस्तृत रूप से इसका उल्लेख किया है इसकी कमियों की तरफ ध्यान केंद्रित किया है।

- समाजशास्त्रीय साहित्य की कुछ परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए देसाई ने कल्याणकारी राज्य की निम्नलिखित विशेषताएँ दी हैं-
- इनके अनुसार कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है और यह राज्य केवल न्यूनतम कार्य ही नही करता है, जो कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा कल्याणकारी राज्य हस्तक्षेपीय होता है और समाज की भलाई के लिए सामाजिक नीतियों की तैयार तथा लागू करने हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग सक्रिय रूप से करता है।
- कल्याणकारी राज्य एक लोकतांत्रिक राज्य होता है। कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति के लिये लोकतंत्र की एक अनिवार्य दशा होती है कल्याणकारी राज्य की पारिभाषिक विशेषताओं में औपचारिक लोकतंत्र संस्थाओं, विशेषकर बहुपार्टी चुनाव शामिल है।
- इस राज्य की अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पूँजीवादी कंपनियाँ तथा राज्य दोनों साथ-साथ काम करते हैं। कल्याणकारी राज्य न तो पूँजीवाद बाजार को खत्म करता है और न ही यह जानता जनता को निवेश करने से रोकता है।

देसाई के अनुसार : कल्याणकारी राज्य द्वारा किये गए कार्यों का परीक्षण :-

- यह समाज में व्याप्त भेदभाव, गरीबी से मुक्ति तथा अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल रखता है।
- यह आय से संबंधित असमानताओं को दूर करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाता है। यह अर्थव्यवस्था को ऐसे परिवर्तित करता है। जिससे पूँजीवादियों की अधिक-से-अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके।
- क्या कल्याणकारी राज्य स्थायी विकास के लिए आर्थिक मंदी तथा तेजी से मुक्त व्यवस्था का ध्यान रखता है।

❖ **देसाई के अनुसार कल्याणकारी राज्य के आधार :**

- इनके अनुसार कार्यों का परीक्षण करते हुए उन देशों को कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है जहाँ हम पाते है कि उनके द्वारा काफी बढ़ा – चढ़ा कर काफी दावे किए गए थे, जैसे- ब्रिटेन, अमेरिका एवं यूरोप के अधिकांश देश। अंततः अधिकांश आधुनिक पूँजीवादी राज्य अपने नागरिकों को निम्नतम आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा देने में असफल रहे हैं, क्योंकि वे आर्थिक असमानता की न्यून करने में सफल नहीं हो पाए तथा अधिकतर उसे प्रोत्साहित ही करते हैं।
- इस स्थिति में राज्य बाजार के उतार-चढ़ाव से मुक्त स्थायी विकास करने में भी असफल रहे हैं। इसमें अत्यधिक धन का रहना तथा बढ़ती बेरोजगारी के कारण भी कुछ अन्य असफलताएं हैं।
- इन तर्कों के आधार पर देसाई जी ने कहा कल्याणकारी राज्य की सोच को एक क्षिम मात्र बताया है।

❖ **एम. एन. श्रीनिवास के गाँव संबंधी विचार :**

- 'राम एन श्रीनिवास के लेख मुख्यतः दो प्रकार के हैं।
- सर्वप्रथम लेख में उन्होंने गाँव में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का नृजातीय ब्यौरा दिया एवं इन ब्यौरों पर परिचर्चा की।
- दूसरे में इन्होंने बताया की भारत के गाँव सामाजिक विश्लेषण की एक इकाई के रूप में कार्य करते है। तथा इस पर ऐतिहासिक अवधारणात्मक परिचर्चाएं की।
- डॉ. श्रीनिवास ने सन् 1951 में मैसूर के छोटे से गाँव का अध्ययन करने के बाद प्रभुजाति के लक्षण-
- गाँव में कृषि भूमि के एक बड़े भाग पर उनका अधिकार
- जातियों में सदस्यों की संख्या अन्य जातियों की तुलना में अधिक एवं शक्तिशाली
- आर्थिक रूप से मजबूत एवं प्रभावशाली
- जाति संस्तरण में उच्च स्थान

❖ **गाँव का महत्त्वः**

- गाँव ग्रामीण शोधकार्यों के स्थान के रूप में भारतीय समाजशास्त्र को लाभ पहुँचाते है।
- गाँव ने नृजातीय शोधकार्य की प्रक्रिया के महत्त्व से पहचान कराने का अवसर दिया तथा नए राष्ट्र में जब विकास संबंधी योजनाएं बन रही थी तो उस समय में इसने भारतीय गाँवों में होने वाले परिवर्तन की आँखो देखी जानकारी दी।

❖ **प्रो.श्यामाचरण दुबे के विचार :** प्रो. दुबे प्रतिष्ठित मानव - शास्त्री एवं समाजशास्त्री में में एक हैं।

- इनके विचारः इन्होंने ग्रामीण जीवन, जनजातियाँ, परंपरा का प्रबंधन तथा विकास आदि पर विशेष अध्ययन और विचार प्रस्तुत किया, जो आज भी भारतीय समाजशास्त्रीय धरोहर के अंग हैं। इन्होंने मध्यप्रदेश की स्थानांतरित कृषि करने वाली कमार जाति का अध्ययन कर समाजशास्त्रीय जीवन में प्रवेश किया है।
- 'इन्होंने आंध्रप्रदेश के शामीर-पेठ गाँव का अध्ययन किया तथा वहाँ के विभिन्न पहलुओं, . जैसे- सामाजिक, सांस्कृति, आर्थिक तथा कर्मकांडीय संरचना, जीवन स्तर, पारिवारिक संबंध सामुदायिक जीवन एवं बदलते स्वरूप की विवरणात्मक व्याख्या की।

❖ **समाज शास्त्र का विकास :-**

- 1914 मुम्बई विश्वविद्यालय में एक ऐच्छिक के रूप में अध्ययन प्रारम्भ।
- 1919 में यहाँ नागरिक समाज समाजशास्त्र विभाग की स्थपना "पैट्रिक गिड्स" इसके पहले अध्यक्ष बने।
- 1924 में गिड्स की जगह जी.एस. धूरिया अध्यक्ष बने।
- 1917 में बी.एन शील के प्रयासों से कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र + समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हो सकी।
- 1920 में वी. एन शील के ही प्रयासों से "लखनऊ विश्वविद्यालय" समाजशास्त्र + अर्थशास्त्र विभाग की स्थापना।
- राधा कमल मुखर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने।

अध्याय – 3

भारतीय सामाजिक व्यवस्था से सम्बंधित अवधारणाएं

भारतीय समाज के विविध आयामों और इसकी जटिल संरचना को समझने के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अनिवार्य है।

भारतीय समाज — निरंतरता और परिवर्तन का समन्वय

समाजशास्त्र एक ऐसा अनूठा विषय है जिसमें कोई भी विद्यार्थी शून्य से शुरुआत नहीं करता; हम सभी एक समाज में पले-बढ़े हैं और सामाजिक संबंधों, समूहों एवं संस्थाओं के बारे में पहले से ही एक 'सहज बोध' (Common sense) रखते हैं। लेकिन समाजशास्त्रीय अध्ययन का उद्देश्य इसी 'सहज बोध' वाले ज्ञान से ऊपर उठकर समाज को एक वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखना है।

भारतीय समाज का ढांचा अत्यंत प्राचीन और सुविचारित है, जो **'धर्म'** जैसी आधारशिला पर टिका है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को अनुशासित एवं संतुलित बनाने के लिए **वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष)** तथा **षोडश संस्कारों** जैसे संगठनात्मक आधारों का सृजन किया,। ये संस्थाएं केवल अतीत का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आज भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

परंतु, भारतीय समाज स्थिर नहीं है। औपनिवेशिक शासन के प्रभाव से लेकर समकालीन दौर तक, इसमें कई गहरे संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन आए हैं। **संसकृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण** जैसी प्रक्रियाओं ने हमारी पारंपरिक संस्थाओं— जैसे जाति, संयुक्त परिवार और विवाह—के स्वरूप को बदला है,। आधुनिक भारत में जहाँ एक ओर वैज्ञानिक सोच और तार्किकता का उदय हुआ है, वहीं दूसरी ओर परंपराओं ने आधुनिकता के साथ एक जटिल समन्वय स्थापित किया है।

इस अध्याय में हमारा उद्देश्य भारतीय समाज की इन आधारभूत संस्थाओं को समझना और यह विश्लेषण करना है कि कैसे ये संस्थाएं समय के साथ स्वयं को ढालते हुए 'परंपरा के आधुनिकीकरण' की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

कर्म का सिद्धांत

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में **कर्म का सिद्धांत** एक अत्यंत प्रभावशाली आधार रहा है। इस अवधारणा के माध्यम से जीवन के उद्देश्यों और कार्यों को बहुत ही गहराई से समझाया गया है।

कर्म का मूल अर्थ और परिभाषा

'कर्म' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की **'कृ'** धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है— करना, कोई क्रिया करना या जीवन में होने वाली हलचल। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो मनुष्य के द्वारा की जाने वाली हर छोटी-बड़ी गतिविधि 'कर्म' है। इसमें केवल शारीरिक श्रम ही नहीं आता, बल्कि हमारे मानसिक विचार और इच्छाएं भी शामिल हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार, हमारा चलना, बैठना, खाना-पीना, यहाँ तक कि सोचना और चाहना भी कर्म का ही हिस्सा है। संक्षेप में, मानव द्वारा किया गया हर कार्य कर्म कहलाता है।

कर्म, भाग्य और जीवन का दृष्टिकोण

यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य निरंतर कर्मशील रहना है। भारतीय समाज में यह माना जाता है कि व्यक्ति को कभी भी भाग्यवादी होकर आलसी या अकर्मण्य नहीं बनना चाहिए। वास्तविकता यह है कि जिसे हम 'भाग्य' कहते हैं, वह हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम होता है। इसका मतलब है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य और भाग्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। इसलिए, भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय सही कर्म करने पर जोर दिया गया है।

कर्म के विभिन्न स्वरूप

मनुष्य के कर्मों को उनकी प्रकृति और समय के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- **संचित कर्म:** ये वे कर्म हैं जो व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनका एक बड़ा भंडार जमा हो चुका है। ये अभी फल देने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन ये व्यक्ति के अस्तित्व का हिस्सा बने रहते हैं।
- **प्रारब्ध कर्म:** संचित कर्मों का वह हिस्सा जिसका फल हमें वर्तमान जीवन में भुगतना पड़ता है, उसे 'प्रारब्ध' कहा जाता है। जिसे हम अक्सर अपनी किस्मत या नियति कहते हैं, वह दरअसल हमारे ही पुराने कर्मों का वह भाग है जो अब सक्रिय हो चुका है।
- **क्रियमाण (संचीयमान) कर्म:** यह वह कर्म है जिसे व्यक्ति वर्तमान जीवन में अभी कर रहा है। यह पूरी तरह हमारे वर्तमान प्रयासों पर निर्भर करता है। आज हम जो नए कर्म कर रहे हैं, वही भविष्य में हमारे संचित कर्मों में जुड़ जाते हैं और आगे चलकर हमारे आने वाले जीवन को प्रभावित करते हैं।

इस प्रकार, कर्म का सिद्धांत केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जन्म और मृत्यु के पूरे चक्र को आपस में जोड़ता है। हमारा वर्तमान हमारे अतीत के कर्मों का फल है, और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान में किए जा रहे कार्यों पर टिका है।

कर्म और पुनर्जन्म

कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण (Social Stratification) को वैचारिक और नैतिक आधार प्रदान करते हैं।

कर्म और पुनर्जन्म के बीच संबंध

'कर्म' और 'पुनर्जन्म' दो पृथक सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि इनके बीच गहरा **कार्य-कारण संबंध** पाया जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है, लेकिन शरीर नाशवान है,

और व्यक्ति का तब तक पुनर्जन्म होता रहता है जब तक वह मोक्ष प्राप्त कर ब्रह्म में विलीन न हो जाए। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति की वर्तमान अच्छी या बुरी परिस्थितियाँ किसी संयोग का फल नहीं हैं, बल्कि उसके **स्वयं के पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम** हैं। उपनिषदों में इन अवधारणाओं को एक तार्किक रूप दिया गया है, जहाँ व्यक्ति अपनी वर्तमान दशा के लिए स्वयं उत्तरदायी माना जाता है।

जाति व्यवस्था और सामाजिक ऊँच-नीच का औचित्य

कर्म का सिद्धांत भारतीय समाज में **जाति व्यवस्था** और सामाजिक असमानता को न्यायोचित (Justify) ठहराने में केंद्रीय भूमिका निभाता है:

- **जन्म आधारित स्थिति:** जाति की सदस्यता जन्म से मिलती है और आजीवन बदली नहीं जा सकती। कर्म का सिद्धांत इसे यह कहकर तर्कसंगत बनाता है कि किसी विशिष्ट जाति (उच्च या निम्न) में जन्म लेना व्यक्ति के पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल है।
- **शुद्धता और अशुद्धता:** सामाजिक सोपान तंत्र 'पवित्रता' और 'अपवित्रता' के विचार पर टिका है, जहाँ ब्राह्मणों को सबसे शुद्ध और दलितों को निम्नतम माना गया है। कर्मवाद इस व्यवस्था को यह कहकर पुख्ता करता है कि यह विभाजन 'न्यायसंगत और अनिवार्य' है।
- **कर्तव्यों का निर्धारण:** प्रत्येक वर्ण के लिए विशिष्ट कर्म (वर्ण-धर्म) निर्धारित किए गए हैं, जैसे शूद्रों का कार्य अन्य वर्णों की सेवा करना बताया गया है। इसे धार्मिक कर्तव्य मानकर पालन करने की शिक्षा दी जाती है ताकि अगले जन्म में बेहतर स्थिति प्राप्त हो सके।

सामाजिक पद (Status) के प्रति संतोष और भाग्यवाद

कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को उसके वर्तमान सामाजिक पद के प्रति **मानसिक संतोष** प्रदान करता है। जब व्यक्ति यह मानता है कि उसकी दरिद्रता या निम्न स्थिति उसके अपने ही कर्मों का फल है, तो वह व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने के बजाय उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि, इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं:

- **भाग्यवाद (Fatalism):** अज्ञानता के कारण कई लोग कर्मवाद को 'भाग्यवाद' समझ लेते हैं और यह मानकर अकर्मण्य हो जाते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, जिससे उनमें उत्साह की कमी हो जाती है।
- **स्वार्थ और शोषण:** समाज के प्रभावशाली वर्ग अक्सर इस सिद्धांत का उपयोग निर्धन वर्गों को यह समझाकर शांत रखने के लिए करते हैं कि उनकी दुर्दशा ईश्वरीय विधान है।

सामाजिक नियंत्रण (Social Control) के साधन के रूप में

कर्म का सिद्धांत समाज में नियंत्रण बनाए रखने का एक सशक्त अनौपचारिक साधन है:

- **संघर्षों में कमी:** यह समाज में विभिन्न समूहों के बीच होने वाले संघर्षों को कम करता है क्योंकि व्यक्ति अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं के कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **स्वधर्म का पालन:** यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों (जैसे वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्म) को निष्ठापूर्वक निभाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सामाजिक संगठन सुदृढ़ बना रहता है।
- **व्यवहार का नियमन:** मोक्ष की प्राप्ति और अगले जन्म में उच्च स्थिति का लालच व्यक्ति को अनैतिक कार्यों से दूर रहने और सदाचार अपनाने के लिए बाध्य करता है, जो समाज में व्यवस्था बनाए रखता है।

कर्म का सिद्धांत और भाग्यवाद

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कर्म का सिद्धांत और भाग्यवाद के बीच अक्सर भ्रांति पैदा हो जाती है, परंतु समाजशास्त्रीय और दार्शनिक दृष्टि से ये दोनों परस्पर विरोधी अवधारणाएँ हैं। इनका तुलनात्मक विश्लेषण निम्नलिखित है:

कर्म का सिद्धांत बनाम भाग्यवाद: तुलनात्मक विश्लेषण

तुलना का आधार	कर्म का सिद्धांत (Theory of Karma)	भाग्यवाद (Fatalism)
मूल दर्शन	यह 'कार्य-कारण' (Cause-Effect) के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है।	यह 'नियति' या पूर्व-निर्धारित घटनाओं के अंधविश्वास पर आधारित है।
व्यक्ति की भूमिका	मनुष्य को अपने **भाग्य का निर्माता स्वयं** माना जाता है।	व्यक्ति को परिस्थितियों का 'असहाय शिकार' माना जाता है।
प्रेरणा	यह निरंतर उन्नति और **सदाचार** के लिए प्रेरित करता है।	यह **अकर्मण्यता**, आलस्य और निकम्मेपन को जन्म देता है।
मनोवैज्ञानिक प्रभाव	यह भविष्य सुधारने के लिए **उत्साह और साहस** प्रदान करता है।	यह व्यक्ति के पुरुषार्थ को कुंठित कर उसे **निराशावादी** बनाता है।
सामाजिक आधार	यह नैतिक उत्तरदायित्व और 'स्वधर्म' के पालन पर बल देता है।	इसका उपयोग अक्सर स्वार्थी तत्वों द्वारा शोषण को न्यायोचित ठहराने के लिए किया जाता है।

अध्याय – 4

भारतीय समाज में परिवार एवं विवाह

परिवार

भारतीय समाजशास्त्र में परिवार की अवधारणा और इसके बदलते स्वरूपों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।

भारतीय संदर्भ में परिवार: प्रकृति एवं निरंतरता

- *भारत में परिवार केवल एक जैविक इकाई नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ **सामाजिक संस्था** और प्रमुख **प्राथमिक समूह** है।*
- *यह एक ओर पितृसत्तात्मक सत्ता (Patriarchal Authority) का केंद्र है, तो दूसरी ओर सदस्यों के संपत्ति संबंधी अधिकारों के रक्षक और संरक्षक के रूप में कार्य करता है।*
- *आधुनिक समय में औद्योगीकरण, शहरीकरण, शिक्षा और प्रवासन जैसे कारकों के बावजूद भारतीय परिवार पूरी तरह 'एकल' (Atomized) नहीं हुए हैं। यहाँ सामूहिकता और व्यक्तिवाद का ऐसा अनूठा समन्वय है कि हिंदू परिवार आज भी एक अनिवार्य सामाजिक इकाई बना हुआ है।*
- *भारत में एकल परिवार को केवल एक 'वैवाहिक परिवार' के रूप में नहीं देखा जा सकता; यहाँ वास्तविक परिवर्तन संरचनात्मक होने के बजाय कार्यात्मक है, जैसे नातेदारी संबंधों के बदलते स्वरूप और सदस्यों के परस्पर दायित्व।*

ए.एम. शाह के अनुसार पारिवारिक स्थितियाँ

समाजशास्त्री ए.एम. शाह ने भारतीय सामाजिक परिवेश में पारिवारिक जीवन की चार परस्पर संबंधित स्थितियों का वर्णन किया है:

- ***आवासीय समूह:** एक ही घर में रहने वाले या एक ही मुखिया के अनुशासन में रहने वाले व्यक्तियों का समूह, जिसमें माता-पिता और बच्चों के साथ नौकर भी शामिल हो सकते हैं।*
- ***रक्त एवं आत्मीय संबंध:** माता-पिता और उनके बच्चों का वह समूह जो रक्त संबंधों या विवाह से जुड़ा हो, चाहे वे एक स्थान पर निवास करते हों या नहीं।*
- ***वंशानुगत पहचान:** वे लोग जो एक ही पूर्वज, घराने या वंश से अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं और एक ही वंश परंपरा का हिस्सा माने जाते हैं।*
- ***प्राथमिक परिवार (Primary Family):** सामान्यतः इसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। यह एक स्वतंत्र इकाई भी हो सकता है और किसी संयुक्त या विस्तृत परिवार का अभिन्न हिस्सा भी, भले ही वे अलग रहते हों।*

प्राथमिक परिवार की संरचना

- *प्राथमिक परिवार में मुख्य रूप से दो पीढ़ियों (स्वयं और संतान) के सदस्य होते हैं।*
- *शाह के वर्गीकरण के अनुसार, प्राथमिक परिवार के दो स्वरूप हो सकते हैं:*

1. ***पूर्ण प्राथमिक परिवार:** इसमें पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं।*
2. ***अपूर्ण प्राथमिक परिवार:** इसमें कुछ सदस्यों का अभाव हो सकता है (जैसे केवल पति-पत्नी या केवल एक अभिभावक और बच्चे)।*

- *महत्वपूर्ण यह है कि एक एकल या प्राथमिक परिवार अपनी संपत्ति या अन्य अधिकारों के लिए अपने भाई के परिवार या मूल संयुक्त परिवार की अन्य इकाइयों के साथ जुड़ा रह सकता है।*

*भारतीय सामाजिक व्यवस्था में **परिवारों** को उनकी संरचना, सत्ता, वंश और निवास के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:*

1. संरचना और आकार के आधार पर (Based on Structure and Size)

- ***मूल या एकाकी परिवार (Nuclear Family):** इसमें केवल पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। यह परिवार का सबसे छोटा और आधारभूत रूप है। वर्तमान में नगरीकरण के कारण इनका प्रचलन बढ़ रहा है।*
- ***संयुक्त परिवार (Joint Family):** इसमें कई पीढ़ियों के रक्त संबंधी (जैसे दादा-दादी, माता-पिता, चाचा-चाची और उनके बच्चे) एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। इनका भोजन एक ही रसोई में बनता है और इनकी संपत्ति तथा धार्मिक कृत्य साझा होते हैं।*
- ***विस्तृत परिवार (Extended Family):** यह संयुक्त परिवार का ही एक रूप है जिसमें मूल परिवार के अलावा पति-पत्नी के अन्य रिश्तेदार भी साथ रहते हैं।*

2. सत्ता और अधिकार के आधार पर (Based on Authority)

- ***पितृसत्तात्मक परिवार (Patriarchal Family):** इस प्रकार के परिवारों में सत्ता और अधिकार घर के सबसे बड़े पुरुष या पिता के हाथ में होते हैं। भारत के अधिकांश समाजों में यही व्यवस्था प्रचलित है।*
- ***मातृसत्तात्मक परिवार (Matriarchal Family):** यहाँ परिवार की मुख्य निर्णयकर्ता महिला होती है। हालाँकि, समाजशास्त्रियों का मानना है कि पूर्णतः मातृसत्तात्मक समाज (जहाँ महिलाएँ ही प्रभुत्वशाली हों) एक सैद्धांतिक कल्पना अधिक है, जबकि व्यावहारिक रूप में मातृवंशीय समाज अधिक पाए जाते हैं।*

3. वंश और उत्तराधिकार के आधार पर (Based on Lineage and Inheritance)

- ***पितृवंशीय परिवार (Patrilineal Family):** इसमें वंश की परंपरा पिता के नाम से चलती है और संपत्ति का उत्तराधिकार पिता से पुत्र को प्राप्त होता है।*
- ***मातृवंशीय परिवार (Matrilineal Family):** इसमें वंश माता के नाम से चलता है और संपत्ति का हस्तांतरण माता से पुत्री को होता है। केरल के **नायर**, मेघालय की **खासी** और **गारो** जनजातियाँ इसके प्रमुख उदाहरण हैं।*

4. निवास के आधार पर (Based on Residence)

- **पितृस्थानीय परिवार (Patrilocal Family):** विवाह के बाद पत्नी अपने पति के घर जाकर रहती है।
- **मातृस्थानीय परिवार (Matriarchal Family):** विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के घर (ससुराल) जाकर रहने लगता है।
- **द्वि-स्थानीय परिवार (Bi-local Family):** इसमें विवाह के बाद पति-पत्नी साथ नहीं रहते, बल्कि अपने-अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं; पति केवल रात बिताने पत्नी के घर जाता है।

5. विवाह के आधार पर (Based on Marriage)

- **एक-विवाही परिवार (Monogamous Family):** इसमें एक पुरुष का एक ही स्त्री से विवाह होता है, जिसे आधुनिक समाज में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।
- **बहु-विवाही परिवार (Polygamous Family):** इसमें एक समय में एक से अधिक जीवनसाथी होते हैं। इसके दो रूप हैं:
  - **बहुपत्नीत्व परिवार (Polygyny):** जहाँ एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियाँ होती हैं (जैसे नागा, गोंड जनजातियाँ)।
  - **बहुपतित्व परिवार (Polyandry):** जहाँ एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं (जैसे टोडा और खस जनजातियाँ)।

6. आधुनिक एवं उभरते स्वरूप (Modern and Emerging Forms)

- **एकल अभिभावक परिवार (Single Parent Family):** इसमें बच्चों का पालन-पोषण केवल माता या पिता द्वारा किया जाता है।
- **लिव-इन संबंध (Live-in Relationships):** आधुनिक शहरों में बिना विवाह के साथ रहने वाले जोड़ों का प्रचलन बढ़ा है, जिन्हें कुछ कानूनी मान्यताएँ भी प्राप्त हो रही हैं।
- **चुने हुए परिवार (Chosen Families):** क्वीयर (LGBTQ+) समुदाय में जैविक संबंधों के बजाय आपसी समझ और स्वीकार्यता के आधार पर बने परिवारों की अवधारणा विकसित हुई है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार की मुख्य विशेषताएं:

1. मुख्य एवं आधारभूत विशेषताएं

- **सार्वभौमिकता (Universality):** परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है जो हर समाज, काल और देश में पायी जाती है। मानव सभ्यता के इतिहास में परिवार हमेशा से अस्तित्व में रहा है।
- **भावात्मक आधार (Emotional Basis):** परिवार का आधार प्रेम, वात्सल्य, सहयोग और सहानुभूति जैसी मानवीय भावनाएं हैं। इन्हीं भावनाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति परिवार का निर्माण और संचालन करता है।
- **सीमित आकार (Limited Size):** अन्य सामाजिक संगठनों की तुलना में परिवार का आकार सीमित होता है क्योंकि इसमें केवल वे ही व्यक्ति शामिल होते हैं जो वास्तविक या काल्पनिक रक्त संबंधों से जुड़े होते हैं।
- **सृजनात्मक प्रभाव (Formative Influence):** परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की प्राथमिक पाठशाला है। बालक के विचारों और दृष्टिकोणों पर परिवार का गहरा रचनात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **सामाजिक नियंत्रण (Social Control):** परिवार एक प्राथमिक समूह होने के नाते अपने सदस्यों के व्यवहार पर अनौपचारिक लेकिन प्रभावशाली नियंत्रण रखता है।

2. संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विशेषताएं

- **असीमित उत्तरदायित्व (Unlimited Responsibility):** परिवार के सदस्यों के उत्तरदायित्व असीमित होते हैं। यहाँ व्यक्ति हर कार्य को अपना समझकर करता है, जबकि औपचारिक संगठनों में जिम्मेदारी सीमित होती है।
- **वंश व्यवस्था (Nomenclature/Descent):** प्रत्येक परिवार की अपनी एक वंश व्यवस्था होती है, जिसके आधार पर बच्चों का नामकरण और उत्तराधिकार तय होता है।
- **साझा निवास और भोजन (Common Habitation & Kitchen):** परिवार के सदस्य सामान्यतः एक ही छत के नीचे रहते हैं और साझा रसोई में बना भोजन ग्रहण करते हैं।
- **आर्थिक प्रावधान (Economic Provision):** परिवार अपने सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं, जैसे भोजन और आवास की पूर्ति की व्यवस्था करता है।

3. सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमिका

- **समाजीकरण (Socialization):** परिवार का मुख्य कार्य बच्चों का संस्कार करना और उन्हें समाज के आचार-व्यवहार में दीक्षित करना है।
- **सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण:** परिवार के माध्यम से ही समाज की सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती है।
- **सामाजिक मर्यादा:** व्यक्ति की सामाजिक पहचान और मर्यादा बहुत हद तक उसके परिवार और कुल से निर्धारित होती है।
- **स्थायी और अस्थायी प्रकृति:** एक समिति के रूप में परिवार अस्थायी हो सकता है (किसी सदस्य की मृत्यु या अलग होने पर), लेकिन एक संस्था के रूप में यह स्थायी है क्योंकि यह मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है जो कभी समाप्त नहीं होतीं।

परिवार केवल एक जैविक समूह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति को सुरक्षा, पहचान और सामाजिक मूल्य प्रदान करती है।

परिवार के प्रकार्य

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से **परिवार** केवल एक समूह नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति और समाज के प्रति कई महत्वपूर्ण प्रकार्यों (Functions) का निर्वाह करता है। विभिन्न

अध्याय – 8

भारतीय समाज में कमजोर वर्गों से सम्बंधित समस्याएँ

भारतीय समाज में कमजोर वर्गों (जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ, वृद्ध, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से सम्बंधित समस्याएँ बहुआयामी हैं। राजस्थान के संदर्भ में, भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से ये समस्याएं और अधिक गंभीर हो जाती हैं।

भारतीय समाज में "कमजोर वर्ग" (Vulnerable Sections) के अंतर्गत मुख्य रूप से **अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाएं, बालक और वृद्धजन** शामिल हैं। राजस्थान के संदर्भ में इन वर्गों को ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से विभिन्न प्रकार के भेदभावों का सामना करना पड़ा है। राजस्थान में कमजोर वर्गों के सामने मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं:-

1. सामाजिक और जातिगत भेदभाव के विभिन्न रूप

- **अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार:** ऐतिहासिक रूप से दलित (SC) और आदिवासी (ST) समुदायों को मुख्यधारा के समाज से अलग रखा गया है। उन्हें **सार्वजनिक स्थानों** जैसे कुओं, मंदिरों और स्कूलों के उपयोग से वंचित किया जाता था। राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ **अपराध दर काफी उच्च** है, जिसमें राज्य भारत में दूसरे स्थान पर है।
- **अपमानजनक व्यवसाय और बेगार प्रथा:** दलित जातियों को समाज में 'अशुद्ध' माने जाने वाले व्यवसायों में धकेला गया, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति अत्यंत हीन बनी रही। इसके अलावा, **'बेगार' (बिना मजदूरी के श्रम)** और **'सागड़ी प्रथा' (बंधुआ मजदूरी)** जैसी कुरीतियां भेदभाव का एक प्रमुख रूप रही हैं।
- **लैंगिक भेदभाव:** महिलाओं को जन्म से पहले ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है (कन्या भ्रूण हत्या)। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाओं को **निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं** है और उन्हें शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- **सांस्कृतिक और भाषाई अलगाव:** आदिवासियों (जैसे भील, गरासिया) की विशिष्ट बोलियों और परंपराओं को अक्सर मुख्यधारा के समाज द्वारा कमतर आंका जाता है, जिससे उनमें **सांस्कृतिक अलगाव** की भावना पैदा होती है।

2. आर्थिक और शैक्षिक आधार पर भेदभाव

- **भूमि पृथक्करण (Land Alienation):** कमजोर वर्गों, विशेषकर आदिवासियों की कृषि भूमि को छल-कपट या ऋण न चुका पाने के कारण गैर-आदिवासियों द्वारा हड़प लिया जाना आर्थिक भेदभाव का एक गंभीर रूप है।
- **शैक्षिक पिछड़ापन:** संसाधनों की कमी और सामाजिक बाधाओं के कारण इन वर्गों में साक्षरता दर राज्य के औसत से काफी कम रही है। उदाहरण के लिए, आजादी के समय दलितों में साक्षरता मात्र 0.9% थी।
- **मजदूरी में असमानता:** समान योग्यता होने के बावजूद महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग **20% कम भुगतान** किया जाता है।

3. भेदभाव के विरुद्ध संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय (RAS हेतु महत्वपूर्ण)

भेदभाव को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान और सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- **अनुच्छेद 17:** अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध।
- **अनुच्छेद 15(4) और 16(4):** शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए **आरक्षण** का प्रावधान।
- **अनुच्छेद 46:** राज्य को कमजोर वर्गों (विशेषकर SC/ST) के शैक्षिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा और सामाजिक अन्याय से रक्षा करने का निर्देश।

प्रमुख अधिनियम:

- **सागड़ी उन्मूलन अधिनियम 1961:** बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए।
- **SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** जातिगत हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान।
- **वन अधिकार अधिनियम, 2006:** आदिवासियों को उनके पारंपरिक वन संसाधनों पर अधिकार देना।

आर्थिक पिछड़ापन: कारण और स्थिति

- कमजोर वर्गों में निर्धनता का मुख्य कारण आय का असमान वितरण, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव और पूंजी निर्माण की धीमी गति है।
- विशेष रूप से आदिवासी समुदायों में, ऋण न चुका पाने की स्थिति में उनकी कृषि भूमि का गैर-आदिवासियों को हस्तांतरण आर्थिक पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों और बिचौलियों द्वारा इन वर्गों का शोषण किया जाता है, जिससे वे पीढ़ी दर पीढ़ी **कर्ज के कुचक्र** में फंसे रहते हैं।
- महिलाओं को समान योग्यता और अनुभव के बावजूद पुरुषों की तुलना में लगभग **20% कम भुगतान** किया जाता है, जो उनके आर्थिक सशक्तिकरण में बाधा है।
- ऐतिहासिक रूप से दलित जातियों को अपमानजनक और निम्न आय वाले व्यवसायों में रखा गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय बनी रही।

शैक्षणिक पिछड़ापन: चुनौतियां और प्रगति

- राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर (44.66%) राज्य की औसत साक्षरता दर (67.06%) से लगभग **15% कम** है।

प्रबंधन

अध्याय – I

प्रबंधन

प्रबंधकीय अवधारणा (Managerial Concept): RPSC

1. प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition) *प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसे आधुनिक औद्योगिक जगत में उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से और दक्षता से प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है।*

- ***एफ. डब्ल्यू. टेलर*** *के अनुसार: "प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे उसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से करते हैं"।*
- ***हेनरी फेयोल*** *के अनुसार: "प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठित करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है"।*
- ***आधुनिक दृष्टिकोण:*** *प्रबंध अन्य लोगों के साथ मिलकर और उनके माध्यम से कार्य करने एवं कराने की कला है।*

2. प्रबंध की प्रकृति एवं विशेषताएँ (Nature and Characteristics)

- ***कला और विज्ञान:*** *प्रबंध एक **विज्ञान** है क्योंकि इसके अपने सिद्धांत हैं और एक **कला** है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत कौशल और अभ्यास की आवश्यकता होती है।*
- ***पेशे के रूप में:*** *आधुनिक समय में प्रबंध को एक पेशे के रूप में मान्यता मिल रही है, जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान और औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।*
- ***सार्वभौमिक प्रक्रिया:*** *प्रबंध के सिद्धांत व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक (जैसे शिक्षा, सरकार, धर्म) सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हैं।*
- ***सतत प्रक्रिया:*** *यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो नियोजन से शुरू होकर नियंत्रण तक चलती है।*
- ***सामाजिक प्रक्रिया:*** *चूंकि इसमें मानवीय संसाधनों का प्रबंधन शामिल है, इसलिए इसे एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है।*

प्रबंधकीय स्तर एवं कौशल

प्रबंध के स्तर (Levels of Management)

संगठन में प्रबंधकीय पदों के बीच अधिकार की स्थिति और आदेश की श्रृंखला के आधार पर प्रबंध को मुख्य रूप से तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है:

- ***उच्च स्तरीय प्रबंध (Top Level):***
  - *इसमें **निदेशक मंडल (Board of Directors)**, **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)** और **प्रबंध निदेशक** शामिल होते हैं।*
  - *यह स्तर अधिकार का अंतिम स्रोत है और संगठन के **बुनियादी उद्देश्यों, नीतियों और रणनीतियों** के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है।*
  - *इनका मुख्य कार्य 'कॉर्पोरेट नियोजन' है, जो आमतौर पर लंबी अवधि (5 वर्ष या अधिक) के लिए होता है।*
- ***मध्य स्तरीय प्रबंध (Middle Level):***
  - *इसमें **विभागीय प्रमुख (HODs)** और **शाखा प्रबंधक** आते हैं।*
  - *ये उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच एक **कड़ी (Link)** के रूप में कार्य करते हैं।*
  - *इनका उत्तरदायित्व उच्च स्तर द्वारा तैयार की गई योजनाओं की व्याख्या करना, उन्हें लागू करना और अपने विभाग के संचालन के लिए संसाधन सुनिश्चित करना है।*
- ***निम्न/पर्यवेक्षी स्तरीय प्रबंध (Lower/Operational Level):***
  - *इसमें **पर्यवेक्षक (Supervisors)**, **फोरमैन** और **अनुभाग अधिकारी** शामिल होते हैं।*
  - *इनका सीधा संबंध **कार्यबल (Workers)** से होता है और ये परिचालन कर्मचारियों की व्यक्तिगत निगरानी और निर्देशन के लिए जिम्मेदार होते हैं।*
  - *ये दैनिक कार्यों की योजना (अल्पकालीन नियोजन) बनाते हैं।*

प्रबंधकीय कौशल (Managerial Skills – रॉबर्ट काट्ज़ के अनुसार)

प्रोफेसर रॉबर्ट काट्ज़ (1974) के अनुसार, एक प्रभावी प्रबंधक के लिए ज्ञान को कार्रवाई में बदलने की क्षमता ही 'कौशल' है। उन्होंने तीन प्रमुख कौशलों की पहचान की है:

- ***वैचारिक/संकल्पनात्मक कौशल (Conceptual Skills):***
  - *यह संगठन को **एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखने** और भविष्य की दूरदर्शी कल्पना करने की क्षमता है।*
  - *इसमें जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण करना और रचनात्मक समाधान खोजना शामिल है।*
  - ***महत्त्व:** यह **उच्च स्तरीय प्रबंध** के लिए अनिवार्य है क्योंकि वे नियोजन और नीति निर्माण में अधिक समय बिताते हैं।*
- ***मानवीय कौशल (Human/Interpersonal Skills):***
  - *यह **लोगों के साथ मिलकर कार्य करने**, उन्हें समझने और प्रेरित करने की क्षमता है।*
  - *इसमें प्रभावी संचार, टीम भावना का विकास और दूसरों की भावनाओं को पहचानना शामिल है।*
  - ***महत्त्व:** यह **सभी स्तरों के प्रबंधकों** के लिए समान रूप से आवश्यक है क्योंकि प्रबंधन का सार ही अन्य लोगों से कार्य करवाना है।*
- ***तकनीकी कौशल (Technical Skills):***
  - *यह किसी विशिष्ट कार्य, प्रक्रिया या तकनीक में **प्रवीणता और ज्ञान** को संदर्भित करता है (जैसे मशीन चलाना या सॉफ्टवेयर उपयोग करना)।*
  - ***महत्त्व:** यह **निम्न/पर्यवेक्षी स्तर** के प्रबंधकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे वास्तविक संचालन के प्रभारी होते हैं।*

जैसे-जैसे एक प्रबंधक पदानुक्रम में ऊपर की ओर बढ़ता है, उसके लिए वैचारिक कौशल का महत्त्व बढ़ता जाता है और तकनीकी कौशल की आवश्यकता कम होती जाती है।

प्रबंध के कार्य

प्रबंध के कार्य: एक परिचय

प्रबंध को एक **प्रक्रिया (Process)** के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके अंतर्गत उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से और दक्षता से प्राप्त करने के लिए कुछ बुनियादी कार्य किए जाते हैं। आधुनिक प्रबंधकों के लिए इन कार्यों का क्रमबद्ध निष्पादन अनिवार्य है।

प्रमुख विचारकों के अनुसार कार्यों का वर्गीकरण:

- **हेनरी फेयोल:** नियोजन, संगठन, आदेश देना, समन्वय और नियंत्रण।
- **लूथर गुलिक (POSDCORB):** नियोजन (P), संगठन (O), नियुक्तिकरण (S), निर्देशन (D), समन्वय (CO), प्रतिवेदन (R) और बजट बनाना (B)।
- **NCERT एवं आधुनिक दृष्टिकोण:** मुख्य रूप से पाँच कार्य माने गए हैं—नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण **(POSDCORB)**।

1. नियोजन (Planning)

यह प्रबंध का **प्रथम और आधारभूत कार्य** है।

- **अर्थ:** "भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व-निर्धारण करना ही नियोजन है"। यह हम 'कहाँ हैं' और 'कहाँ पहुँचना चाहते हैं', इसके बीच के अंतर को पाटता है।
- **प्रक्रिया:** इसमें उद्देश्यों का निर्धारण, सूचनाओं का संकलन, वैकल्पिक मार्गों की खोज, उनका मूल्यांकन और सर्वोत्तम विकल्प का चयन शामिल है।
- **महत्व:** यह अनिश्चितता को कम करता है और संसाधनों के मितव्ययी उपयोग को सुनिश्चित करता है।

2. संगठन (Organising)

नियोजन के बाद का अगला चरण संसाधनों और गतिविधियों को व्यवस्थित करना है।

- **अर्थ:** उद्यम के सदस्यों के बीच अधिकार और जिम्मेदारी के संबंधों को स्थापित करने की प्रक्रिया।
- **प्रमुख कदम:** कार्यों की पहचान और विभाजन, विभागीयकरण (Departmentalisation), कर्तव्यों का निर्धारण और रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना।
- **महत्व:** यह कार्यकुशलता बढ़ाता है और कार्य के दोहराव को रोकता है।

3. नियुक्तिकरण (Staffing)

इसे 'मानव संसाधन कार्य' भी कहा जाता है।

- **अर्थ:** संगठन संरचना में खाली पदों को भरने और उन्हें भरे रहने देने से संबंधित है।
- **मुख्य तत्व:** भर्ती (Recruitment), चयन (Selection), कार्य पर नियुक्ति, प्रशिक्षण और विकास।
- **NCERT का सार:** "सही कार्य के लिए, सही समय पर, सही योग्यता वाले व्यक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना"।

4. निर्देशन (Directing)

निर्देशन प्रबंध का **कार्यशील (Action)** पहलू है जो कर्मचारियों को सक्रिय करता है।

- **अर्थ:** अधीनस्थों का मार्गदर्शन करना, उन्हें प्रेरित करना और उनका नेतृत्व करना ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
- **मुख्य घटक (Elements):**

1. **पर्यवेक्षण (Supervision):** अधीनस्थों के कार्य की निगरानी करना।
2. **अभिप्रेरणा (Motivation):** कार्य करने की इच्छा जागृत करना।
3. **नेतृत्व (Leadership):** दूसरों को प्रभावित करने की कला।
4. **संप्रेषण (Communication):** विचारों और सूचनाओं का आदान-प्रदान।

5. नियंत्रण (Controlling)

यह प्रबंधकीय प्रक्रिया का अंतिम चरण है जो सुनिश्चित करता है कि कार्य योजना के अनुसार हो रहा है।

- **अर्थ:** वास्तविक निष्पादन की तुलना पूर्व-निर्धारित प्रमापों (Standards) से करना और विचलन होने पर सुधारात्मक कार्यवाही करना।
- **प्रक्रिया के चरण:** प्रमापों का निर्धारण, वास्तविक प्रगति का मापन, तुलना और विचलन का विश्लेषण, तथा सुधार करना।

प्रबंध का 'सार'

समन्वय को प्रबंध का अलग कार्य मानने के बजाय इसे **"प्रबंध का सार" (Essence of Management)** माना जाता है।

- यह एक ऐसी शक्ति है जो प्रबंध के अन्य सभी कार्यों को एक-दूसरे से जोड़ती है।
- यह सामूहिक प्रयासों में एकता और संतुलन स्थापित करता है ताकि न्यूनतम संघर्ष के साथ लक्ष्य प्राप्त हो सकें।

उद्देश्यों द्वारा प्रबंध (Management by Objectives - MBO)

उद्देश्यों द्वारा प्रबंध (MBO): अवधारणा

- **प्रतिपादक:** यह एक अमेरिकी अवधारणा है जिसका प्रतिपादन **पीटर एफ. ड्रकर** ने 1954 में अपनी पुस्तक **'The Practice of Management'** में किया था।
- **मूल दर्शन:** MBO प्रबंध का वह दर्शन या दृष्टिकोण है जो यह सुनिश्चित करता है कि संगठन के भीतर प्रत्येक कर्मचारी के कार्यों का सीधा संबंध संगठन के व्यावसायिक लक्ष्यों से होना चाहिए।
- **परिवर्तन:** यह प्रबंध को 'गतिविधि-आधारित' (Activity-based) से हटाकर **'परिणाम-आधारित' (Result-oriented)** बनाने पर जोर देता है। इसमें वरिष्ठ और अधीनस्थ मिलकर सामूहिक रूप से लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

1. **उत्पाद (Product):** मुख्य सेवा प्रस्ताव।
2. **मूल्य (Price):** गुणवत्ता का मानक माना जाता है।
3. **स्थान (Place):** ग्राहक के निकटता खरीद की संभावना बढ़ाती है।
4. **संवर्धन (Promotion):** ब्रांड पहचान बनाना।
5. **लोग (People):** कर्मचारी और प्रबंधन जो सेवा प्रदान करते हैं।
6. **प्रक्रिया (Process):** वह तंत्र जिसके माध्यम से सेवा वितरित की जाती है।
7. **भौतिक साक्ष्य (Physical Evidence):** कार्यस्थल का वातावरण और सुविधाएँ जो अनुभव को ठोस बनाती हैं।

2. डिजिटल विपणन (Digital Marketing)

डिजिटल मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें **इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों** (जैसे सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल) का उपयोग करके किसी प्रोडक्ट या सेवा का प्रचार किया जाता है। 2026 में भारत में 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिससे यह हर बिज़नेस के लिए अनिवार्य हो गया है।

डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख प्रकार:

1. **SEO (Search Engine Optimization):** वेबसाइट को Google में ऊपर रैंक कराना।
2. **SEM/PPC:** Google Ads जैसे प्लेटफॉर्म पर सवेतन विज्ञापन चलाना।
3. **सोशल मीडिया मार्केटिंग (SMM):** Facebook, Instagram और LinkedIn के माध्यम से ब्रांडिंग।
4. **कंटेंट मार्केटिंग:** ब्लॉग, वीडियो और इन्फोग्राफिक्स के जरिए ग्राहकों का विश्वास जीतना।
5. **ईमेल मार्केटिंग:** ग्राहकों को व्यक्तिगत संदेश और ऑफर्स भेजना।
6. **इन्फ्लुएंसर और वीडियो मार्केटिंग:** प्रसिद्ध व्यक्तियों और Reels/Shorts के माध्यम से प्रचार।
7. **AI मार्केटिंग:** 2026 का प्रमुख ट्रेंड, जहाँ ChatGPT जैसे टूल्स से कंटेंट और कस्टमर सर्विस को ऑटोमेट किया जाता है।

- **डिजिटल बनाम ट्रेडिशनल मार्केटिंग:** डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में **कम लागत वाली, मापने योग्य (Measurable)** और **वैश्विक पहुँच** वाली होती है। इसमें परिणामों को रीयल-टाइम में ट्रैक किया जा सकता है और लक्षित ऑडियंस (Target Audience) तक सटीक पहुँच संभव है।

डिजिटल तकनीकों के उदय ने सेवाओं के विपणन को भी बदल दिया है, जहाँ अब ए.टी.एम., ई-बैंकिंग और ऑनलाइन परामर्श जैसी सेवाएँ डिजिटल माध्यमों से सुलभ हो गई हैं।

अध्याय – 4

मानव संसाधन प्रबंध

मानव संसाधन प्रबंध (Human Resource Management - HRM): संकल्पना एवं क्षेत्र

मानव संसाधन प्रबंध (HRM) प्रबंधन की वह विशिष्ट शाखा है जो संगठन में कार्यरत 'मानव' (Human Power) के प्रभावी उपयोग, विकास और रखरखाव से संबंधित है। आधुनिक प्रबंधन में इसे केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि संगठन की सफलता के लिए एक **रणनीतिक भागीदार** (Strategic Partner) माना जाता है।

।मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition)

HRM एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों और संगठन को इस प्रकार जोड़ती है कि दोनों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यह नियोजन से शुरू होकर कर्मचारी के संगठन छोड़ने तक चलने वाली एक **सतत प्रक्रिया** है।

- **एडविन बी. फिलिपो (Edwin B. Flippo) के अनुसार:** "मानव संसाधन प्रबंध का आशय संसाधनों की प्राप्ति, विकास, नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण से है ताकि सामाजिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके"।
- **डेली योडर (Dale Yoder) के अनुसार:** "HRM प्रबंधन का वह भाग है जो कार्यबल के प्रभावी उपयोग और उन पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है जो यांत्रिक शक्ति से भिन्न है"।

HRM की संकल्पना एवं विकास (Evolution of Concept)

HRM का विकास कई चरणों में हुआ है, जो इसकी बदलती प्रकृति को दर्शाता है:

1. **श्रम कल्याण चरण (Labour Welfare Stage):** प्रारंभ में इसका मुख्य कार्य केवल श्रमिकों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना था।
2. **सेविवर्गीय/कार्मिक प्रबंध चरण (Personnel Management Stage):** व्यवसाय का आकार बढ़ने पर भर्ती, चयन और अनुशासन पर ध्यान दिया जाने लगा।
3. **मानव संसाधन प्रबंध चरण (HRM Stage):** आधुनिक युग में कर्मचारियों को संगठन की 'संपत्ति' (Asset) मानकर उनके कौशल विकास और कार्य-जीवन संतुलन पर बल दिया जाता है।

मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र (Scope of HRM)

HRM का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसे मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है:

(A) प्रबंधकीय कार्य (Managerial Functions):

- **नियोजन (Planning):** भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना।
- **संगठन (Organizing):** कार्य, अधिकार और उत्तरदायित्व का ढांचा तैयार करना।

- **निर्देशन एवं नियंत्रण (Directing & Controlling):** कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना और उनके निष्पादन की जांच करना।

(B) क्रियात्मक या परिचालन कार्य (Operative Functions):

- **अधिप्राप्ति/प्रापण (Procurement):** इसमें कार्य विश्लेषण (Job Analysis), भर्ती (Recruitment), चयन (Selection) और पदस्थापन (Placement) शामिल हैं।
- **विकास (Development):** कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण, करियर नियोजन (Career Planning) और निष्पादन मूल्यांकन (Performance Appraisal)।
- **क्षतिपूर्ति/मुआवज़ा (Compensation):** उचित वेतन निर्धारण, बोनस, प्रोत्साहन योजनाएं और वित्तीय लाभों का प्रबंधन।
- **एकीकरण (Integration):** कर्मचारियों को अभिप्रेरित (Motivation) करना, सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining) और औद्योगिक संबंधों का प्रबंधन।
- **रखरखाव (Maintenance):** स्वास्थ्य, सुरक्षा, समाज कल्याण और सेवा-निवृत्ति लाभ सुनिश्चित करना।

(C) परामर्शदात्री कार्य (Advisory Functions):

- उच्च प्रबंधन को मानव संसाधन नीतियों के निर्माण में सलाह देना।
- विभागीय अध्यक्षों को कार्मिक समस्याओं और अनुशासन संबंधी मामलों में सहयोग देना।

HRM की विशेषताएँ (Characteristics)

- **मानवीय तत्व पर बल:** यह केवल निर्जीव वस्तुओं नहीं, बल्कि सजीव मानव शक्ति के प्रबंधन से संबंधित है।
- **अकादमिक और पेशेवर:** यह अब एक विशिष्ट 'पेशे' (Profession) के रूप में विकसित हो चुका है।
- **व्यापकता:** यह निजी, सरकारी, सामाजिक और सैन्य सभी प्रकार के संगठनों में अनिवार्य है।
- **परिणाम-उन्मुख:** इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की संतुष्टि के साथ-साथ संगठन के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना है।

मानव संसाधन नियोजन (HRP)

मानव संसाधन नियोजन (HRP) एक ऐसी रणनीतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि संगठन के पास सही समय पर, सही स्थान पर और सही संख्या में ऐसे योग्य व्यक्ति उपलब्ध हों जो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।

मानव संसाधन नियोजन का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

1. अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition)

- **संकल्पना:** यह संगठन की वर्तमान मानव शक्ति स्थिति से वांछित मानव शक्ति स्थिति की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया है।
- **परिभाषा (ई. बी. गिसलर):** उनके अनुसार, यह भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने, मानव शक्ति का विकास करने और उनके प्रभावी उपयोग की योजना बनाने की प्रक्रिया है ताकि आर्थिक दृष्टि से संगठन को अधिकतम लाभ मिल सके।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं का सटीक अनुमान लगाना और भर्ती गतिविधियों को व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ जोड़ना है।

2. महत्व (Importance)

मानव संसाधन नियोजन संगठन के लिए कई कारणों से अपरिहार्य है:

- **भर्ती और चयन का आधार:** यह भर्ती और चयन नीतियों को एक ठोस आधार प्रदान करता है, जिससे योग्य उम्मीदवारों का चयन आसान हो जाता है और समय व धन का अपव्यय कम होता है।
- **अति और अल्प-कर्मचारीकरण से बचाव:** यह संगठन को आवश्यकता से अधिक या कम कर्मचारी रखने के जोखिमों से बचाता है।
- **लागत में कमी:** नियोजित नियुक्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रति इकाई श्रम लागत को कम करने में मदद मिलती है।
- **विकास और पदोन्नति:** यह कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अवसरों की पहचान करने और उनके कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाने में सहायक है।

3. प्रक्रिया (Process of HRP)

HRP की प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:

- **संगठनात्मक लक्ष्यों का निर्धारण:** नियोजन की शुरुआत संगठन के उद्देश्यों को समझने से होती है, क्योंकि बिना उद्देश्यों के प्रभावी योजना बनाना संभव नहीं है।
- **कार्यबल का विश्लेषण (Workforce Analysis):** वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, उनकी योग्यता और कौशल का आकलन करने के लिए **'कौशल सूची' (Skill Inventory)** या **HRIS** का उपयोग किया जाता है।
- **भविष्य की माँग का पूर्वानुमान (Demand Forecasting):** कार्यभार विश्लेषण (Work-load analysis) के माध्यम से यह तय किया जाता है कि भविष्य के लक्ष्यों के लिए कितने और किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसके लिए **डेल्फी तकनीक, प्रवृत्ति विश्लेषण** और **अनुपात विश्लेषण** जैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है।
- **आपूर्ति का पूर्वानुमान (Supply Forecasting):** इसमें यह देखा जाता है कि आंतरिक स्रोतों (पदोन्नति) या बाहरी स्रोतों (भर्ती) से आवश्यक कर्मचारी कैसे उपलब्ध होंगे।
- **योजनाओं का कार्यान्वयन:** माँग और आपूर्ति के बीच के अंतर को भरने के लिए भर्ती, चयन और प्रशिक्षण के कार्यक्रम विकसित किए जाते हैं।

मानव संसाधन नियोजन न केवल कर्मचारियों की संख्या को नियंत्रित करता है, बल्कि यह **'जॉब डिज़ाइन'** और **'कार्य**

लेखांकन एवं अंकेक्षण

अध्याय – I

लेखांकन

लेखांकन का सैद्धांतिक आधार उन नियमों, सिद्धांतों और दिशानिर्देशों का समूह है जो वित्तीय लेन-देनों के अभिलेखन और प्रस्तुतिकरण में एकरूपता और तुलनीयता सुनिश्चित करते हैं। किसी भी विषय के विकास के लिए एक परिपक्व सैद्धांतिक आधार का होना आवश्यक है, और लेखांकन में यह आधार वर्षों के अनुभवों, पेशेवर निकायों के सुझावों और सरकारी नियमों द्वारा विकसित हुआ है।

लेखांकन के सैद्धांतिक आधार के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

मान्य लेखांकन सिद्धांत (GAAP)

सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों (Generally Accepted Accounting Principles) से तात्पर्य उन मानकीकृत नियमों और प्रक्रियाओं से है जिनका उपयोग वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए किया जाता है।

- इनका मुख्य उद्देश्य वित्तीय रिपोर्टिंग में स्थिरता, पारदर्शिता और सटीकता लाना है ताकि विभिन्न कंपनियों के प्रदर्शन की तुलना की जा सके।
- ये नियम स्थिर नहीं हैं; ये उपयोगकर्त्ताओं की आवश्यकताओं और आर्थिक वातावरण के अनुसार निरंतर बदलते रहते हैं।
- भारत में 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' (ICAI) लेखांकन मानकों को निर्धारित करता है, जबकि अमेरिका में 'फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड (FASB) इन्हें जारी करता है।

1. नियमितता का सिद्धांत (Principle of Regularity)

- इस सिद्धांत के अनुसार, कंपनियों को वित्तीय विवरण तैयार करते समय हमेशा **GAAP (सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों)** के नियमों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
- लेखांकन कार्य में किसी भी प्रकार के शॉर्टकट (Cutting corners) या अपवाद की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

2. संगति का सिद्धांत (Principle of Consistency)

इसे स्रोतों में **'समनुरूपता की संकल्पना'** या **'समस्थिरता की परंपरा'** के नाम से भी संबोधित किया गया है,।

- **समानता और निरंतरता:** यह सिद्धांत निर्देश देता है कि लेखांकन की नीतियों, अभ्यासों और रिपोर्टिंग विधियों में वर्ष-दर-वर्ष समानता और निरंतरता होनी चाहिए,।
- **तुलनीयता (Comparability):** निरंतरता का मुख्य उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तुलना के योग्य बनाना है,। इसके माध्यम से एक निवेशक फर्म के वर्तमान वर्ष के लाभ की तुलना पिछले वर्षों के लाभ से कर सकता है (अन्तः समयावधि तुलना), और साथ ही विभिन्न फर्मों के प्रदर्शन के बीच भी तुलना संभव हो पाती है,।
- **नीतियों में बदलाव का प्रभाव:** यदि स्टॉक के मूल्यांकन या ह्रास (Depreciation) के निर्धारण जैसी विधियों को हर साल बदला जाता है, तो वित्तीय परिणामों की तुलना करना कठिन और अविश्वसनीय हो जाता है,।
- **व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्ति:** संगति का पालन करने से लेखांकन परिणामों में व्यक्तिगत आग्रह या पक्षपात की संभावना कम हो जाती है,।
- **परिवर्तन और प्रकटीकरण:** इसका अर्थ यह नहीं है कि लेखांकन नीतियों में कभी बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि कोई बदलाव आवश्यक हो, तो विवरणों में यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि बदलाव क्यों किया गया है और इसके कारण परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ा है,।
- **उपयोगकर्त्ताओं के लिए सुगमता:** लेखांकन सूचनाओं के स्रोतों और विधियों में स्थिरता रहने से उपयोगकर्त्ताओं को रिपोर्ट समझने में दुविधा या कठिनाई नहीं होती।

ईमानदारी का सिद्धांत (Principle of Sincerity)

- इस सिद्धांत के अनुसार, एक लेखाकार (Accountant) को व्यावसायिक लेनदेन की रिपोर्ट पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करनी चाहिए।
- रिपोर्टिंग करते समय किसी भी प्रकार का पक्षपात या तथ्यों को घुमा-फिराकर (Spin) पेश नहीं किया जाना चाहिए।
- इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय कहानियों को ईमानदारी और सटीकता से बताया जाए ताकि सभी उपयोगकर्ता उन्हें आसानी से समझ सकें।

रूढ़िवादिता का सिद्धांत (Principle of Prudence/Conservatism)

इसे **'विवेकशीलता की संकल्पना'** के नाम से भी जाना जाता है और यह "सावधानी से खेलने" की नीति पर आधारित है।

- **मूल मंत्र:** "भावी लाभों की आशा न करें, लेकिन सभी संभावित हानियों के लिए पर्याप्त प्रावधान करें"।
- **लाभ और हानि का लेखांकन:** व्यावसायिक लाभों को तब तक दर्ज नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे वास्तव में प्राप्त या अर्जित न हो जाएं, लेकिन यदि किसी हानि की दूरस्थ संभावना भी हो, तो उसके लिए लेखा पुस्तकों में पहले से प्रावधान कर लेना चाहिए।

प्रमुख उदाहरण:

- अंतिम स्टॉक (Closing Stock) का मूल्यांकन **लागत मूल्य या बाजार मूल्य, दोनों में से जो कम हो**, उस पर करना।
- संदिग्ध ऋणों (Doubtful Debts) के लिए पहले से प्रावधान करना।
- अमूर्त परिसंपत्तियों जैसे ख्याति (Goodwill) या पेटेंट का समय-समय पर अपलेखन (Write off) करना।

- हालांकि यह सिद्धांत सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन जानबूझकर परिसंपत्तियों को कम मूल्य पर आंकने से बचना चाहिए क्योंकि इससे **गुप्त कोषों (Secret Reserves)** का

निर्माण हो सकता है जो वित्तीय विवरणों की पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

पूर्ण प्रकटीकरण (Full Disclosure)

- **महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रस्तुतिकरण:** इस संकल्पना के अनुसार, व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन से जुड़े सभी **सारपूर्ण और आवश्यक तथ्यों** को वित्तीय विवरणों में स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाना चाहिए।
- **प्रकटीकरण का तरीका:** सूचनाओं को मुख्य वित्तीय विवरणों के भीतर, या उनके साथ जुड़ी **पाद-टिप्पणियों (Footnotes)** और टिप्पणियों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं तक पहुँचाया जाना चाहिए।
- **उपयोगकर्ताओं के लिए लाभ:** निवेशक, ऋणदाता और अन्य हितधारक इन सूचनाओं के आधार पर ही व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता और वित्तीय सक्षमता का सही मूल्यांकन कर पाते हैं।
- **वैधानिक अनिवार्यता:** कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम और सेबी (SEBI) जैसे नियामक निकायों द्वारा निर्धारित प्रारूपों का पालन करना अनिवार्य है ताकि पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके|

आधारभूत लेखांकन अवधारणाएं (Basic Accounting Concepts)

लेखांकन प्रक्रिया को संचालित करने के लिए कुछ मूलभूत अवधारणाओं का पालन किया जाता है:

व्यावसायिक इकाई संकल्पना (Business Entity Concept)

- इस संकल्पना के अनुसार, **व्यवसाय का अपने स्वामी से पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व होता है।** लेखांकन के दृष्टिकोण से व्यवसाय और उसके स्वामी को दो अलग-अलग इकाइयां माना जाता है।
- जब कोई स्वामी व्यवसाय में पूँजी लगाता है, तो उसे लेखांकन अभिलेखों में **व्यापार की स्वामी के प्रति देनदारी** के रूप में दिखाया जाता है।
- यदि स्वामी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यवसाय से धन निकालता है, तो इसे पूँजी में कमी और व्यवसाय की देनदारी में कमी माना जाता है।
- वित्तीय रिकॉर्ड हमेशा **व्यापार के दृष्टिकोण से** रखे जाते हैं, न कि स्वामी की दृष्टि से। स्वामी के व्यक्तिगत लेन-देनों का रिकॉर्ड तब तक नहीं रखा जाता जब तक वे व्यवसाय के नकद प्रवाह को प्रभावित न करें।

मुद्रा मापन संकल्पना (Money Measurement Concept)

- इस संकल्पना के अनुसार, लेखा-पुस्तकों में केवल उन्हीं लेन-देनों या घटनाओं का अभिलेखन किया जाता है जिन्हें **मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सके**, जैसे माल का विक्रय या व्ययों का भुगतान।
- वे महत्वपूर्ण सूचनाएं जिन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता (जैसे प्रबंधक की नियुक्ति, कर्मचारियों की योग्यता या संस्था की प्रतिष्ठा), उन्हें लेखांकन अभिलेखों में स्थान नहीं मिलता।
- लेन-देनों का लेखांकन भौतिक इकाइयों (जैसे 2 एकड़ भूमि या 30 कुर्सियाँ) के बजाय केवल **मौद्रिक इकाइयों (रुपये व पैसे)** में किया जाता है ताकि व्यवसाय की कुल स्थिति का स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सके।
- मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तनों (महंगाई) को इस संकल्पना में ध्यान में नहीं रखा जाता, जिससे कभी-कभी वित्तीय विवरण व्यवसाय का सत्य स्वरूप प्रस्तुत नहीं कर पाते।

सतत व्यापार संकल्पना (Going Concern Concept)

- **निरंतरता का अनुमान:** यह माना जाता है कि **व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा** और निकट भविष्य में इसका परिसमापन (बंद होना) नहीं होगा।
- **परिसंपत्तियों का मूल्यांकन:** यह संकल्पना परिसंपत्तियों को उनके **क्रय मूल्य (ऐतिहासिक लागत)** पर दिखाने का आधार प्रदान करती है, न कि उनके बाजार मूल्य पर।
- **ह्रास (Depreciation) का आधार:** इसी अवधारणा के कारण किसी संपत्ति (जैसे कंप्यूटर) के पूरे खर्च को उसी वर्ष में न मानकर, उसके **अनुमानित जीवन काल (जैसे 5 वर्ष) में बाँट दिया जाता है।** यदि निरंतरता की धारणा न हो, तो पूरी लागत उसी वर्ष के लाभ-हानि खाते में डालनी पड़ेगी जिस वर्ष उसे खरीदा गया था।

लेखांकन अवधि संकल्पना (Accounting Period Concept)

- **निश्चित समय अंतराल:** यह संकल्पना समय के उस विस्तार को संदर्भित करती है जिसके अंत में एक व्यावसायिक संगठन अपने वित्तीय विवरण (जैसे लाभ-हानि खाता और तुलन पत्र) तैयार करता है,।
- **नियमितता की आवश्यकता:** चूंकि कोई भी व्यवसाय अपने परिणामों को जानने के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उपयोगकर्ताओं (निवेशकों, ऋणदाताओं आदि) को समय पर निर्णय लेने हेतु नियमित अंतराल पर सूचनाओं की आवश्यकता होती है,,।
- **सामान्य अवधि:** सामान्यतः यह अंतराल **एक वर्ष** का होता है,,। कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम के अनुसार भी वार्षिक वित्तीय विवरण बनाना अनिवार्य है,,।
- **अपवाद:** कुछ मामलों में अंतरिम विवरण भी बनाए जाते हैं, जैसे साझेदार की निवृत्ति के समय या स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए **त्रैमासिक रिपोर्ट**,,।

लागत संकल्पना (Cost Concept)

- **ऐतिहासिक लागत:** इस संकल्पना के अनुसार, सभी परिसंपत्तियों को उनके **क्रय मूल्य (ऐतिहासिक लागत)** पर ही दर्ज किया जाना चाहिए,,।
- **लागत में शामिल व्यय:** क्रय मूल्य में केवल संपत्ति की कीमत ही नहीं, बल्कि उसे उपयोग योग्य बनाने के लिए किए गए **परिवहन, स्थापना और स्थापना व्यय** भी शामिल होते हैं,,।

व्यापार खाता (Trading Account) में शामिल होने वाली मदे :-

- Opening Stock (प्रारंभिक रहतिया)
- Purchase (क्रय)
- Purchase Return (क्रय वापसी)
- Cost Of Purchase (मॉल क्रय करते समय लगने वाले व्यय)
- Cost Of Production (मॉल उत्पादन करते समय लगने वाले व्यय)
- Sales (विक्रय)
- Sales Return (विक्रय वापसी)
- Closing Stock (अंतिम रहतिया)

लाभ – हानि (Profit and Loss Account) खाता क्या है।

- वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए व्यापारी द्वारा जो खाता बनाया जाता है। उसे लाभ – हानि खाता (Profit and Loss Account) कहते हैं।
- जैसा कि हम सभी जानते हैं। व्यवसाय कोई भी हो व्यापारी का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना ही होता है। और व्यापारी को यह जानना भी अति आवश्यक होता है, कि व्यापार मे लाभ हो रहा है या हानि। और इसी लाभ और हानि को जानने के लिए व्यापारी द्वारा लाभ – हानि खाता (Profit and Loss Account) बनाया जाता है।
- लाभ – हानि खाते (Profit and Loss Account) मे दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष डेबिट पक्ष और दूसरा पक्ष क्रेडिट पक्ष कहलाता है। यदि व्यापारी को Gross Loss होता है। तो इसे डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। और साथ ही समस्त अप्रत्यक्ष खर्चो (Indirect Expenses) को भी डेबिट पक्ष लिखा जाता है। और यदि व्यापारी को शुद्ध लाभ होता है। तो इसे क्रेडिट पक्ष मे लिखा जाता है। और साथ ही समस्त अप्रत्यक्ष आय (Indirect Income) को भी क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है।
- वित्तीय वर्ष के अंत में जब व्यापारी अपने अंतिम खाते बनाता है। तो वह सबसे पहले व्यापार खाता (Trading Account) बनाता है। और व्यापार खाते से जो सकल लाभ (Gross Profit) प्राप्त होता है। तो इस सकल लाभ (Gross Profit) को आगे लाभ – हानि खाते (Profit and Loss Account) मे ले जाया जाता है। लाभ – हानि खाते में समस्त अप्रत्यक्ष खर्चो (Indirect Expenses) को सकल लाभ (Gross Profit) मे से घटाया जाता है। तथा समस्त अप्रत्यक्ष आय (Indirect Income) को सकल लाभ (Gross Profit) मे जोड़ा जाता है। तथा शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को ज्ञात किया जाता है।

नोट :- अवास्तविक खातों (Nominal Account) से संबंधित सभी खातों के शेष लाभ – हानि खाते में लिखे जाते हैं।

लाभ – हानि खाते मे शुद्ध (Net Profit) लाभ कब होता है।

यदि लाभ – हानि खाते के डेबिट (Dr.)पक्ष का योग क्रेडिट (Cr.) पक्ष के योग से कम होता है तो लाभ होता है, जिसे शुद्ध लाभ (Net Profit) कहते हैं।

लाभ – हानि खाते मे शुद्ध हानि (Net Loss) कब होती है।

- यदि लाभ – हानि खाते के क्रेडिट (Cr.) पक्ष का योग डेबिट (Dr.) पक्ष के योग से कम होता है तो हानि होती है, जिसे शुद्ध हानि (Net Loss) कहा जाता है।
- लाभ – हानि खाता (Profit and Loss Account) बनाने का आधार
- तलपट (Trial Balance) अंतिम खाते का आधार होता है।
- व्यापार खाता (Trading Account) और लाभ – हानि खाता (Profit and Loss Account) तलपट (Trial Balance) के आधार पर ही बनाया जाता है। अर्थात् सबसे पहले तलपट (Trial Balance) बनाया जाता है। फिर इस तलपट (Trial Balance) को देखकर सबसे पहले व्यापार खाता (Trading Account) बनाया जाता है। और फिर बाद में लाभ –हानि खाता (Profit and Loss Account) बनाया जाता है।

लाभ – हानि खाते का प्रारूप

लाभ हानि खाता
(Profit and Loss Account)
for the year ended .....
दिनांक .....

Dr. Cr.

विवरण Particulars	राशि Amount	विवरण Particulars	राशि Amount
To Trading A/c (Gross Loss)	0.00	By Trading A/c (Gross Profit)	0.00
To Office Expenses	0.00	By Rent Received	0.00
To Salaries	0.00	By Interest Received	0.00
To Bank Charges	0.00	By Income for Invesment	0.00
To Office Rent	0.00	By Discount Received	0.00
To Office Lighting Expenses	0.00	By Bad Debt Recovered	0.00
To Depreciation	0.00	By Commission	0.00
To Charity Expenses	0.00	By Apprentice Premium	0.00

To Postage Expenses	0.00	By By Bank Interest Received	0.00
To Freight Out Ward Expenses	0.00	By P.P.F. A/c Interest Received	0.00
To Stationery Expenses	0.00	Total	0.00
To Travelling Expenses	0.00		
To Telephone Expenses	0.00	By Net Loss	0.00
To Interest Paid On Loan	0.00	(Transfer to Capital Account)	
To Discount	0.00		
To Carriage Out Ward Expenses	0.00		
To Advertising Expense	0.00		
To Packing Expenses	0.00		
To Commission Paid	0.00		
To Maintenance Expenses	0.00		
To Printing Expenses	0.00		
To Bad Debts	0.00		
To Audit Fees	0.00		
To Discount Allowed	0.00		
To Wages Expenses	0.00		
To Repair Expenses	0.00		
To Fire Insurance	0.00		
To Legal Expense	0.00		
To Interest On Bank Loan	0.00		
Total	0.00		
To Net Profit (Transfer to Capital Account)	0.00		
	0.00		0.00

लाभ – हानि खाते के डेबिट (Dr.) पक्ष में शामिल होने वाली मदे

लाभ – हानि खाते के डेबिट पक्ष में वे सभी खर्चो को लिखा जाता है। जो मॉल (Goods) के क्रय – विक्रय से सम्बंधित नहीं होते है। जैसे :-

- *Gross Loss (शुद्ध हानि)*
- *Office Expenses (कार्यालय खर्च)*
- *Salaries (वेतन)*
- *Bank Charges (बैंक खर्च)*
- *Office Rent (कार्यालय का किराया)*
- *Office Lighting Expenses (कार्यालय का लाइट बिल)*
- *Depreciation (ह्रास)*
- *Charity Expenses (दान का खर्च)*
- *Postage Expenses (डाक खर्च)*
- *Freight Out Ward Expenses (भाड़ा खर्च)*
- *Stationery Expenses (लेखन सामग्री खर्च)*
- *Travelling Expenses (यात्रा खर्च)*
- *Telephone Expenses (दूरभाष बिल)*
- *Interest Paid On Loan (ऋण पर ब्याज चुकाया)*
- *Discount (कटौती)*
- *Carriage Out Ward Expenses (बाहरी भाड़ा खर्च)*
- *Advertising Expense (विज्ञापन का खर्च)*
- *Packing Expenses (पेकिंग खर्च)*
- *Commission Paid (कमीशन)*
- *Maintenance Expenses (रखरखाव खर्च)*
- *Sales Tax (विक्रय कर)*
- *Printing Expenses (छपाई खर्च)*
- *Bad Debts (अप्राप्य ऋण)*
- *Audit Fees (अंकेक्षण शुल्क)*
- *Discount Allowed (छुट दिया गया)*
- *Wages Expenses (मजदूरी खर्च)*
- *Repair Expenses (मरम्मत खर्च)*
- *Fire Insurance (अग्नि बिमा)*
- *Legal Expense (कानूनी व्यय)*
- *Interest On Bank Loan (बैंक ऋण पर ब्याज)*
- *लाभ – हानि खाते के क्रेडिट (Cr.) पक्ष में शामिल होने वाली मदे*
- *लाभ – हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में वे सभी आय को लिखा जाता है। जो मॉल (Goods) के क्रय – विक्रय से सम्बंधित नहीं होती है।*

  जैसे :- Gross Profit (शुद्ध लाभ)
- *Rent Received (प्राप्त किराया)*
- *Interest Received (प्राप्त ब्याज)*
- *Income for Invesment (निवेश पर आय)*
- *Discount Received (प्राप्त छुट)*
- *Bad Debt Recovered (खराब खर्च वसूली)*
- *Commission (प्राप्त कमीशन)*
- *Apprentice Premium (नवसिखिया प्रब्याज)*

<u>आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet)</u>

Balance Sheet जिसे हिंदी में आर्थिक चिट्ठा और स्थिति विवरण भी कहते है। जैसा कि नाम से पता चलता है – स्थिति विवरण अर्थात् एक ऐसा स्थिति विवरण पत्र जिससे व्यापार की आर्थिक स्थिति जैसे:- व्यापार की सम्पत्तियाँ,

घटक हैं यदि किसी देश के इन पांच क्रियातथा व्यय लेखा रूप में प्रस्तुत किया जाए तो अर्थव्यवस्था के मूल ढांचे को प्रकट करने वाले प्रभाव के बंद नेटवर्क को प्रदर्शित करेंगे।

II. **उत्पादन लेखा production account**- उत्पादन लेखा अर्थव्यवस्था के व्यवसाय क्षेत्र से संबंध रखता है उत्पादन से मतलब इसमें सब प्रकार की उत्पादन क्रियाएं अर्थात् जैसे विनिर्माण व्यापार आदि सम्मिलित हैं इसके अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों स्वाधिकार वाली फर्म एकल साझेदारी आ सरकारी स्वामित्त्व व्यवसाय आते हैं व्यक्तिगत क्षेत्र के भुगतान ओं में किराया ब्याज लाभांश मजदूरी वेतन कर्मचारियों को दिया जाने वाला मुआवजा और मालिकों की आय शामिल होती है।

III. **उपभोग लेखाconsumption account** - उपभोग लेखा घरेलू अथवा व्यक्तिगत क्षेत्र के आय तथा व्यय का लेखा प्रस्तुत करता है घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत सभी उपभोक्ता और लाभ न कमाने वाली संस्थाएं आती हैं जैसे क्लब तथा संघ।

IV. **पूंजी लेखा capital account** -- पूंजी लेखा से पता चलता है कि बचत घरेलू एवं विदेशी निवेश के बराबर होती है बचत का देश के भीतर स्थाई पूंजी एवं माल सूचियों में तथा अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है सकल निजी निवेश के अंतर्गत पूंजी वस्तुओं का सकल प्रवाह एवं स्टाको में होने वाला शुद्ध परिवर्तन शामिल है विदेशी निवेश से तात्पर्य चालू लेखा पर होने वाली विदेशी आधिक्य है।

V. **विदेशी लेखा foreign account** - विदेशी लेखा किसी देश के शेष विश्व के साथ किए गए लेन-देन को दिखाता है इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं अंतरण भुगतान आते हैं यह लेखा एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय भुगतान शेष का खाता होता है विदेशी लेखा अथवा शेष विश्व लेखा..

अभ्यास प्रश्न

गत परीक्षा में पूछे गये प्रश्न :-

1. मिश्रित जर्नल प्रविष्टियाँ क्या है ? [RAS – 2021]
2. प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखिए [RAS – 2021]
3. उत्तरदायित्व लेखांकन के संदर्भ में चार उत्तरदायित्व केन्द्रों को बताइये [RAS – 2021]
4. वित्तीय विवरण पत्रों के विश्लेषण के संदर्भ में अनुपात विश्लेषण क्या है ? [RAS – 2018]
5. कोष प्रवाह विश्लेषण तकनीक क्या है ? [RAS – 2018]
6. वित्तीय विवरण विश्लेषण के कोई दो उद्देश्य बताइये । [RAS – 2016]
7. शुद्ध कार्यशील पूंजी से आप क्या समझते हैं ? [RAS – 2016]
8. उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के सदर्भ में द्वि-पक्ष अवधारणा को समझाइये ? [RAS – 2021]
9. उत्तरदायित्व लेखांकन का अर्थ एवं उत्तरदायित्व केन्द्रों के नाम लिखिए ? [RAS – 2016]

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-

1. दोहरा लेखांकन प्रणाली क्या है ?
2. दोहरा लेखांकन प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए?
3. दोहरा लेखा प्रणाली की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए ?
4. वित्तीय विवरण को समझाइये ?
5. वित्त के स्त्रोतों का वर्णन कीजिए ?
6. बैलेंसशीट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए ?
7. खातों के प्रकार क्या हैं ? और उसके शेष निकालने की विधि क्या है ?
8. लेखांकन के उद्देश्यों को बताइये ?
9. लेखांकन की अवधारणा की व्याख्या करें ?

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO